5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

28

# न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

R-137-IV/16

1. निशांत तिवारी तनय श्याम सुन्दर तिवारी
2. शैलेन्द्र तिवारी तनय कुन्ज बिहारी

निवासी दनवारा तह. पवई जिला पन्ना ......निगरानीकर्तागण

**विरूद्ध**

1. हगियां उर्फ हरियां तनय नंदा सौर (फौत)
2. मतलवी तनय मुहना गोंड

निवासी रामपुर तहसील गुनौर जिला पन्ना ...........अनावेदकगण

## निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् ~~अपर आयुक्त~~ सागर संभाग संभाग के आदेश दिनांक 14/10/15 ~~से~~ दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रही है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम दनवारा स्थित भूमि खसरा क्र 1435 रकवा 1.400 है भूमि अनावेदक क्र 1 के भूमिस्वामी हक की भूमि थी जिसको पैसों की आवश्यकता होने के कारण अनावेदक क्र 1 द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर पन्ना के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर कलेक्टर पन्ना द्वारा दिनांक 23/1/1995 को अनावेदक क्र 1 को भूमि विक्रय की अनुमति प्रदाय की गयी तथा दिनांक 20/4/1995 को अनावेदक क्र 1 द्वारा उक्त भूमि का विक्रय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से निगरानीकर्तागण को किया गया जिसके आधार पर निगरानीकर्तागण द्वारा दिनांक 5/6/1995 को नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, उक्त आवेदन पत्र के लंबित रहने के दौरान अनावेदक क्र 1 द्वारा एक विक्रय पत्र दिनांक 12/7/1995 को अनावेदक क्र 2 के नाम लेख किया गया जिसके आधार पर अवैधानिक रूप से दिनांक 31/7/1995 को अनावेदक क्र 2 के पक्ष नामांतरण पंजी क्र 23 पर नामांतरण स्वीकृत किया गया जिसकी जानकारी प्राप्त होने पर निगरानीकर्तागण द्वारा एक अपील अनुविभागीय अधिकारी पवई के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसे दिनांक 29/8/1996 को स्वीकार कर निगरानीकर्तागण का नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध अनावेदक क्र 2 द्वारा एक अपील अपर आयुक्त सागर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें अपर आयुक्त सागर द्वारा दिनांक 27/4/02 को विधि विपरीत आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध निगरानीकर्तागण द्वारा एक निगरानी

XXXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 137-II/16 जिला पन्ना

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
| --- | --- | --- |
| 6.1.16 | मेरे द्वारा निगराकार के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गए एवं उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन किया गया।<br><br>विद्वान अधिवक्ता ने तर्क में बताया कि अपर आयुक्त सागर के आक्षेपित आदेश दि. 14-10-15 द्वारा होंगिया के वारसान को 90 दिन में अभिलेख पर लेने का आवेदन नहीं देने एवं विलम्ब माफी का आवेदन भी नहीं देने के आधार पर उनके न्यायालय का प्रकरण खारिज किया जाना गलत है।<br>इसका कारण उन्होंने आक्षेपित आदेश में होंगिया की मृत्यु की दिनांक नहीं लिखी जाना तथा न्यायदृष्टांत बताया। उन्होंने यह भी कहा प्रकरण में होंगिया या उसके वारिसों का पक्षकार होना न्यायपूर्ण निर्णय के लिए महत्वपूर्ण/आवश्यक नहीं है, क्योंकि होंगिया (आदिवासी) ने कलेक्टर पन्ना द्वारा प्रदत्त भूमि विक्रय की अनुमति दि. 23.1.95 के आधार पर अपनी एक ही भूमि ग्राम दनवारा, ख.नं. 1435, रकबा 1.400 हे. के दो विक्रय पत्र संपादित किए थे :(1) दि. 20.4.95 को निगराकार के पक्ष में, एवं (2) दि. 12.7.95 को गैर-निगराकार-2 के पक्ष में। ऐसे | |

[कृ. प. उ.

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 6.1.16 | में होगिया का वाद भूमि से स्वत्व समाप्त हो गया होना निर्विवाद है। केवल निगरानीकार एवं गैर-निगरानीकार क्र.2 के मध्य भूमि के अधिकार के संबंध में निर्णय होना है।<br>उन्होंने आगे कहा कि जब दि. 5.6.95 को निगरानीकार ने अति.तहसीलदार को अपने विक्रयपत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन किया तभी होगिया ने गैर-निग.2 को इसी भूमि का विक्रय कर दिया, जिसके बाद दि. 31.7.95 को गैर-निग 2 के पक्ष में वाद भूमि पर नामान्तरण स्वीकृत हो गया। उसके बाद प्रकरण में लम्बी न्यायिक प्रक्रिया चली। दि. 1.8.95 को तहसीलदार ने निगरानीकार का नामांतरण आवेदन निरस्त किया। दि 29.8.96 को SDO ने निगरानीकार के पक्ष में निर्णय दिया, जिसके विरुद्ध द्वितीय अपील में अपर आयुक्त ने दि. 27.4.02 को SDO का आदेश निरस्त किया। इसके विरुद्ध रा.मं. में निगरानी हुई, जहाँ प्रकरण SDO को प्रत्यावर्तित हुआ। SDO ने दि. 4.2.08 को गैर-निगरानीकार 2 के पक्ष में निर्णय दिया, जिसके विरुद्ध पुनः अपर आयुक्त के समक्ष अपील हुई। वहाँ पारित आक्षेपित आदेश के विरुद्ध रा.मं. में यह निगरानी है। तर्क में उपरोक्त बिन्दु बताने के साथ | |

XXXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R.137-II/16 जिला पन्ना

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | अधिवक्ता ने दोनों विक्रयपत्रों, कलेक्टर अनुमति दि. 23.1.95, नामांतरण दि 31.7.95, अपर आयुक्त आदेश दि. 27.5.02, एवं SDO आदेश दि. 4.2.08 की प्रतियां भी दीं। साथ ही तीन न्यायदृष्टांतों की प्रतियां दीं। | |
| | प्रकरण में परीक्षण एवं विचार के उपरान्त मैं यह पाता हूँ कि प्रकरण में अपर आयुक्त को गुणदोष पर अपने न्यायालय की अपील में निर्णय पारित करना चाहिए था। प्रकरण के गुण दोष काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। विलम्ब के कारण उन्हें नजरअंदाज़ करने से न्याय का हनन इस प्रकरण में हो सकता है, वो भी तब जब मृतक हंडिया की मृत्यु की दिनांक के बारे में स्पष्ट उल्लेख आक्षेपित आदेश में नहीं किया गया हो और उसके आधार पर विलम्ब की स्पष्ट गणना भी इस आदेश में नहीं दर्शाई गई हो। | |
| 6.1.16 | प्रस्तुत न्यायदृष्टांत : (1) 1966 RN 439 (CN 132) अरखुआ वि. बलदेवा, | |

[क्र. प. उ.

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | (2) 2003(5) MPLJ 579, अल्लानूर वि. नत्थूलाल, (3) Civil Revision No. 146 of 2004, decided on 2.3.2005 (Jabalpur), श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ वि. श्रीमती पुष्पा बेरी एवं अन्य, ... के प्रकाश में भी अपर आयुक्त को उनके न्यायालय का अपील प्रकरण केवल आक्षेपित आदेश में उल्लिखित किये गए आधारों पर समाप्त नहीं कर देना चाहिए था।<br><br>उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में मैं अपर आयुक्त सागर का आक्षेपित आदेश दि. 15.10.15 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ, एवं अपर आयुक्त को प्रकरण में गुण दोष के आधार विधि के अनुसार बोलता हुआ आदेश पारित करने का निर्देश देता हूँ।<br><br>आदेश पारित।<br>पक्षकार एवं अपर आयुक्त, सागर सूचित हों।<br><br>प्रकरण समाप्त।<br>दा. द. हो।<br><br>6.1.16<br>(सदस्य) | |